

## कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक/3168 /आजाक/पीव्हीटीजी/2024-25

कबीरधाम दिनांक 10/12/2024

//दावा आपत्ति सूचना//

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) कबीरधाम (छ.ग.) के विज्ञापन आदेश क्रमांक/1928/आजाक/पीव्हीटीजी/2024-25 कबीरधाम दिनांक 12.09.2024 के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए जिला अंतर्गत संचालित विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय पोलमी एवं चौरा के लिए अतिथि शिक्षकों (पीजीटी/टीजीटी) की पूर्ति हेतु दि.25.09.2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।

आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियों की सूची जिले के वेबसाइट [www.kawardha.gov.in](http://www.kawardha.gov.in) में अपलोड है। सूची में किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर दिनांक 17.12.2024 तक अभ्यर्थी अपना दावा आपत्ति कार्यालयीन समय में इस कार्यालय को पंजीकृत/ स्पीड डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास कबीरधाम

पृ0क्रमांक/3169 /आजाक/पीव्हीटीजी/2024-25

कबीरधाम दिनांक 10/12/2024

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर-जिला कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त कलेक्टर एवं **Web Information Manager** जिला-कबीरधाम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी) जिला-कबीरधाम की सूचनार्थ। कृपया जिले के वेबसाइट [www.kawardha.gov.in](http://www.kawardha.gov.in) में (सूची संलग्न) अपलोड करने का कष्ट करेंगे।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला-कबीरधाम की ओर सूचनार्थ कर लेख है स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क दावा आपत्ति प्रकाशन कराने का कष्ट करेंगे।

सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास कबीरधाम